कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

रूचि की अभिव्यक्ति

द्वितीय ऑफर आमंत्रण सूचना

क्र./लोकवि/जोन–3/ना.नि/2022/03 भिलाई, दिनांक 29/11/22

नगर पालिक निगम भिलाई **जोन 04 क्षेत्रांतर्गत** 1.) **श्रीराम चौक ग्राउण्ड, 2.) सुभाष नगर सागर विद्यालय के पीछे ग्राउण्ड, 3) प.दीनदयाल स्टेडियम का संचालन, संधारण एवं रख–रखाव कार्य हेतु ''न लाभ न हानि''** के आधार पर इच्छुक संस्थायें/संबंधित खेल कोच/खिलाड़ियों के समूह/एन.जी.ओ. से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित किया जाता है उक्त कार्य का नियम–शर्ते दिनांक 13.12.2022 समय 5.30 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट में देखी एवं डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं। डाउनलोड की स्थिति में राशि रू.750.00 के डिमांड ड्राफ आयुक्त,नगर पालिक निगम,भिलाई के नाम देय होगा।

उक्त कार्य हेतु ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 15.12.2022 सायं 5:30 बजे तक रजिस्ट्रर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त ऑफर लिफाफा दिनांक 16.12.2022 को समय 11:00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित धरोहर राशि प्रत्येक खेल मैदान संचालन/संधारण एवं रख–रखाव कार्य हेतु **राशि रू. 10,000.00** का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंक से एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से) लिफाफा ''अ'' में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफा ''ब'' में दर प्रस्तुत करना होगा और दोनो लिफाफा को ''स'' में संलग्न कर रजिस्ट्रर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। सर्वप्रथम लिफाफा ''अ'' निर्धारित धरोहर राशि का खोला जावेगा। निर्धारित राशि का एफ.डी.आर. प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा ''ब'' (दर लिफाफा) खोला जावेगा। जिसकी सूचना पत्र/मोबाईल के माध्यम से दी जावेगी। प्राप्त दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय बगैर कारण बताए आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगी। जो कि सर्व मान्य होगा। नियम एवं शर्तों की जानकारी नगर निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com से देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी हेतु नगर पालिक निगम भिलाई जोन कार्यालय अभियंता जोन–3 कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। ऑफर का चयन का आधार, प्रस्तुत किये गये ऑफर में सर्वाधिक निगम हित एवं संबंधित खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम शुल्क एवं अधिकतम प्रशिक्षण संबंध सुविधा प्रदाय किया जाना सर्वमान्य होगा। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने की स्थिति में चयनित होने पर लॉटरी पद्धति से एक ऑफरदाता का चयन किया जावेगा एवं जो सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन 04 क्षेत्रांतर्गत 1) श्रीराम चौक ग्राउण्ड् 2) सुभाष नगर सागर विद्यालय के पीछे ग्राउण्ड् 3) प.दीनदयाल स्टेडियम का संचालन, संधारण एवं रख–रखाव कार्य।

// EOI ऑफर आमंत्रण के अंतर्गत नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी//

1. आफर में भाग लेने हेतु निविदाकार को **राशि रू. ₹750.00** के डिमांड ड्रॉफ आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम देय होगा।
2. खेल मैदान के संचालन, संधारण एवं रखरखाव की अवधि अधिकतम पाँच वर्ष होगी जिससे प्रथम वर्ष में सफलता पूर्वक एजेंसी द्वारा संचालन/संधारण किये जाने के उपरान्त प्रति वर्ष विस्तार किये जाते हुए पाँचवे वर्ष तक उक्त कार्य हेतु मानय की जावेगी। नियमानुसार निविदा में एजेंसी से अमानत राशि (ईएमडी) लिया जावेगा। ई.एम.डी. की राशि **रू. ₹10000.00** मात्र किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं निविदाकार के संयुक्त नाम जमा कराना होगा।
3. उक्त खेल मैदान परिसर, छ.ग. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल प्रबंधन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं एक से अधिक एजेंसी पात्र होने पर जिस एजेंसी के पास छ.ग. राज्य का खेल प्रबंधन का अधिकतम समयावधि का अनुभव प्रमाण पत्र होगा, उस एजेंसी को कार्य आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेंगी।
4. ऑफरदाता को संचालन/संधारण हेतु दिये गये कार्यादेश के समय, मैदान की स्थिति अनुसार ही संचालन/संधारण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त निगम को मैदान, ऑफरदाता द्वारा कार्यादेश के समय की स्थिति में वापसी किये जाना आवश्यक एवं बंधनकारी होगा।
5. ऑफरदाता द्वारा अधिकतम 10 होर्डिंग, साइज, अधिकतम 5मी.X1मी. अधिकतम 5 मी. ग्राउण्ड लेवल से ऊंचाई युक्त व्यवसायिक होर्डिंग्स लगा सकेगा जिसमें कोई आपत्तिजनक विज्ञापन अमान्य रहेगा, आवश्यकतानुसार शासन से संबंधित योजनाओं का कम से कम 2 होर्डिंग विज्ञापन प्रदर्शन आवश्यक होगा।
6. ऑफरदाता को संचालन/संधारण हेतु होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम से आय के स्त्रोत उत्पन्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. खेल मैदान में विद्युत खपत देयक भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं खेल मैदान में स्थापित हर प्रकार के विद्युत से संबंधित उपकरणों की सुरक्षा/संधारण की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल ऑफरदाता एजेंसी की होगी।
8. ऑफरदाता द्वारा खेल मैदान में आने वाले खिलाड़ियो का पंजीयन कर, न्यूनतम वहनीय शुल्क ही लिया जाना आवश्यक होगा।
9. ऑफरदाता के विरूद्ध खिलाड़ियो/नागरिकों द्वारा मैदान में संचालन/संधारण की संबंधित की गई शिकायत उचित पाए जाने पर ऑफरदाता पर **राशि ₹ 5000.00/खेल मैदान/प्रति बार** अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। परिस्थिति जन्य संचालन/संधारण में गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर ऑफरदाता को प्रदत्त कार्य को तत्काल प्रभाव से रदद करने हेतु सर्वाधिकार आयुक्त न.पा.नि. भिलाई के पास सुरक्षित रहेंगे।
10. बालक/बालिकाओं खिलाड़ियो के लिए मैदान में खेल हेतु पृथक–पृथक व्यवस्था ऑफरदाता द्वारा किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा।
11. वार्षिक संचालन/संधारण कार्य विज्ञापन बोर्ड (कंड़िका क्र. 04 एवं 06 में दर्शायेशानुसार) के माध्यम से एवं प्रशिक्षार्थी खिलाड़ियों से न्यूनतम शुल्क प्राप्त कर सकल आय में से राशि **राशि ₹25000.00/ ₹5000.00/ ₹25000.00** प्रतिवर्ष अनुबंध की तिथी में न0पा0नि0 कोष में जमा करवाना आवश्यक होगा।
12. निगम/जिला प्रशासन/राज्य शासन को मैदान की जितने दिनों हेतु आवश्यकता पड़ेगी, उतने समयावधि हेतु एजेंसी को निः शुल्क खेल मैदान उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा।
13. संबंधित जोन के तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय–समय पर खेल मैदान का निरीक्षण/परीक्षण किया जावेगा, निरीक्षण के समय जारी आवश्यक निर्देशों का ऑफरदाता को पालन करना तत्काल आवश्यक होगा।

14. वर्तमान में खेल परिसर जैसे है वैसी स्थिति में बनाये रखना होगा।
15. समस्त विद्युत उपकरण, मैदान, पाथवे, मुत्रालय, शौचालय मैदान, बैठक व्यवस्था, कार्यालय इत्यादि, समस्त परिसम्पत्ति का नियमित संधारण किया जाकर यथावत बनाये रखना होगा।
16. पूरे परिसर तथा सामने भाग में सड़क तक की साफ–सफाई बनाये रखना होगा।
17. स्वच्छ भारत अंतर्गत सूखे, गीले कचरा का कन्टेनर पर्याप्त मात्रा में रखना होगा तथा कचरा का वैज्ञानिक विधि से निस्पादन स्टेडियम के पास खुली भूमि पर किया जाना होगा। इससे निर्मित खाद का उपयोग स्वयं किसी भी रूप में कर सकता है या विक्रय कर सकता है।
18. ऑफदरदाता को पर्याप्त चौकीदार एवं अन्य कर्मचारी स्वयं के व्यय से रखना होगा। (जिसके लिये निगम पृथक से कोई भी भुगतान नहीं करेगी) ।
19. यह परिसर किसी भी व्यक्ति, ऑफरदाता, स्व सहायता समूह, खेल से संबंधित ऑफरदाता/व्यक्ति को दिया जावेगा। जिसके पास संबंधित खेलो के राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय, संतोष ट्राफी, डुरन्ड या इसी स्तर के खिलाड़ी रहा हो/है या राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय कोच, रेफरी की सहमती पत्र हो, जो कोच का कार्य करने इच्छुक हो। इस कार्य के लिये निगम कोई भी राशि व्यय नहीं करेगी। (कोच सक्षम स्तर के लाईसेंस धारक हो, बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रमाण पत्र, किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्था से कोच का प्रमाण पत्र हो) ।
20. इच्छुक ऑफदरदाता को अधिकार होगा कि वह इस परिसर में खेल कोचिंग, खेल आयोजन सशुल्क/निःशुल्क कर सकता है। वहां प्रतिबंधित विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन कर आय प्राप्त करने में स्वतंत्र होगा।
21. खेल ग्राउण्ड में प्रातः शाम 2–2 घंटा स्थानीय नागरिकों/ खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रवेश देना इस हेतु खेल ग्राउंड परिसर के गेट पर इस आशय का सूचना बोर्ड स्वयं के व्यय से ऑफरदाता को लगाना आवश्यक होगा।
22. मैदान परिसर के बाहर खिलाड़ियों से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक खाने–पीने की व्यवस्था के लिये आय वेंडरो के द्वारा स्टाल लगाने की अनुमति स्वच्छता बनाये रखने की शर्तो पर ऑफरदाता द्वारा नगर पालिक निगम द्वारा अनुमति प्राप्त कर दी जा सकेगी।
23. अनुबंधकर्ता ऑफरदाता द्वारा नगर निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तो के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन हेतु ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन किसी भी एजेंसी को अनुबंधित कर समय सीमा के अंदर दे सकेगा, जिसकी सूचना नगर पालिक निगम को अनिवार्य रूप से देना होगा। शासन द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विज्ञापन में अश्लील स्लोगन न हो व न ही किसी भी समाज व संस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता हो, न ही किसी को ठेस पहुंचाता हो, न ही किसी राजनीतिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता हो और न ही आपत्तिजनक हो। अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगा।
24. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता ऑफदरदाता को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी, अनुबंधकर्ता ऑफदरदाता की होगी। लगाये गये श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत कम से कम न्यूनतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
25. मैदान का नवीनतम फोटोग्राफ प्रत्येक माह संबंधित सक्षम अधिकारी के विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिससे खेल परिसर की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध हेतु निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।
26. अनुबंधकर्ता ऑफदरदाता द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी स्वयं जवाबदार होगी।
27. अनुबंधकर्ता ऑफदरदाता के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।
28. मैदान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उप अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत जोनवार खेल अधोसरंचनाओं की जानकारी

21

दिनांक ....

स.क्र.	वार्ड / खेल मैदान का नाम	मैदान का साईज	खेलो का विवरण	वर्तमान में उपलब्ध सुविधा	खेल मैदान के कार्यकर्ता	अनुमानित वार्षिक शुल्क जो सफल निविदाकार से निगम कोष में जमा करवाना होगा।
जोन क्र. 04 शिवाजी नगर						
1	श्रीराम चौक ग्राउण्ड	100X100 mtr 10000 m^2=107640 sqft	—	कारपेट ग्रास, शौचालय, फ्लड़ लाईट, चारों ओर फेंसिंग एवं पाथवे।	—	Say Rs 25000.00/Year
2	सुभाष नगर सागर विद्यालय के पीछे ग्राउण्ड़	23X40 mtr 920 m^2=9903 sqft	—	ग्राउण्ड़ में इंटरलॉक है।	—	Say Rs 5000.00/Year
3	प.दीनदयाल स्टेडियम	115 mtr dia =10382 Sqm= 111710 Sqft	—	कारपेट ग्रास, शौचालय, फ्लड़ लाईट, चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल	—	Say Rs 25000.00/Year

नोट :– उक्त तीनों खेल मैदान नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्रांतर्गत एवं स्वामित्व की है।